factory units in the country which include some small industries at factory level and other than small industries was 110179. According to the office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), the number of small scale units (both registered and un-registered) estimated for that year was 19.48 lakhs.

According to the information supplied by the Punjab Government the total number of small scale and medium scale industries in the State of Punjab as on 31.12.94 is 1.86,989 and 460 respectively.

(b) There were 2434 sick units in the small scale sector in the State of Punjab as on 31.3.1994 identified by Reserve Bank of India as per their guidelines.

(c) For the revival of medium scale units, Board for Industrial and Financial Reconstruction has been created by the Government. For small scale industries, State Level Inter-Institutional Committee (SLIIC) exists. Based on Naik Committee recommendations. RBI has issued necessary guidelines to the banks for revival of sick units; these include a lower rate of interest, prompt nursing programme, setting up cells at Regional Centres and Head Office of the banks for dealing with sick industrial units.

(d) The central assistance to State Govt, in the form of block grants and block loans to finance the Annual Plans are approved by the Planning. Commission and this is not related to a particular programme/scheme/ sector. As such, there is no separate information of central loan assistance to the Govt, of Punjab for the revival of sick units-

विदेशी निवेश के प्रस्ताव

1565. प्रो० राम लक्ष्मण सिंह वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों के कितने निवेश प्रस्ताव अभी तक लंबित हैं तथा कितने लम्बित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और आज की तारीख तक उन्होंने भारत में कुल कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ख) ऐसी विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है जो अपनी ओर से शत-प्रतिशत पूंजी निवेश करने में रुचि रखती हैं ; और

(ग) विदेशी कम्पनियों को भारत की स्थानीय कम्पनियों के मुकाबले कौन-कौन से कर संबंधी लाभ उपलब्ध कराये जाते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नई नीति के बाद की अवधि अर्थात् 1-8-91 से 31-1-95 तक के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 2837 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं जिनमें 27905.94 करोड़ रु० का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निहित है (इसमें यूरो इयून के जरिये जुटाए जाने वाले 5230.44 करोड़ रु० भी शामिल हैं ।

प्रस्तावों को प्राप्त करना और इन पर विचार करना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है ।

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत में शत-प्रतिशत पूंजीगत निवेश करने के लिए विदेशी कम्पनियों से 130 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) विदेशी कंपनियों पर घरेलू कंपनियों की तुलना में कर की दर अपेक्षाकृत अधिक है। किन्तु, रायल्टी और तकनीकी शुल्क प्राप्त करने वाली विदेशी

कंपनियों से समग्र आधार पर अपेक्षाकृत कम दर पर कर लगाया जाता है। विदेशी कंपनियां निवेश, आय और दीर्घ-कालीन पूंजीगत लाभ पर समग्र आधार पर कर की कम दर की भी पात्र हैं। जहां तक संपत्ति कर का संबंध है, इसमें कोई अंतर नहीं है।

अखबारी कागजों की कीमतों में वृद्धि

1566. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत तीन वर्षों में अखबारी कागज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो जून, 1991 में देश में उत्पादित सभी किस्म के अखबारी कागजों की क्या-क्या कीमतें थीं ;

(ग) फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में उपरोक्त सभी प्रकार के कागजों की क्या-क्या कीमतें थीं ;

(घ) क्या सरकार ने स्वदेश में उत्पादित अखबारी कागजों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारणों का पता लगाया है ;

(ङ) देश में कुल कितने अखबारी कागज उत्पादक मिलें हैं, जो निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में चल रही है ;

(च) क्या इन मिलों द्वारा अपनी-अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में निजी, सहकारी और सरकारी क्षेत्र की इन मिलों द्वारा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के उपयोग के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रमुख अखबारी कागज मिलों द्वारा अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि और प्रमुख एककों के संबंध में जून, 1991 तथा फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में प्रचलित मूल्यों के बारे में विवरण I (**नीचे देखिए**) संलग्न है।

(घ) अखबारी कागज के मूल्यों में बिजली, आयातित लुगदी, रसायन तथा अन्य कच्ची सामग्री जैसी विविधियों की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी होने की सूचना है। अखबारी कागज के मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य में प्रत्येक संशोधन को इसके कारणों और औचित्य के कार्योत्तर अध्ययन के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) को भेजा जाता है।

(ङ) इस समय अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में 22 मिलें हैं (4 केन्द्र सरकारी क्षेत्र में, 2 राज्य सरकारी क्षेत्र में और 16 निजी क्षेत्र में) जिन्हें अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली मिलों के रूप में घोषित किया गया है।

(च) और (छ) सरकारी क्षेत्र में प्रमुख अखबारी कागज मिलों और औरंगाबाद पेपर मिल्स लि. द्वारा क्षमता के उपयोग से संबंधित विवरण -II (नीचे देखिए) संलग्न है। निजी क्षेत्र की अन्य अखबारी कागज मिलों को 1993 के बाद से अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है। इसलिए इन मिलों के क्षमता उपयोग के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।